आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6/4/23	**आदेश** आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद आवेदक के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बिरनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रारंभ की गई। प्रथम पक्ष के मो0 समीम सिद्दकी वगै0 बनाम द्वितीय पक्ष के मो0 सफीक को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ हीं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर विवादित भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :- मौजा- मनिकडीहा, थाना-बिरनी, जिला- गिरिडीह अंतर्गत, खाता नं0-53, प्लॉट नं0-1301, रकवा-35 डी0, चौहद्दीः उ0-रास्ता, द0-खलील मलिक, पू0-मो0 इसहाक, प0-स्व0 मो0 शलीम। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, अंचल अधिकारी, बिरनी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने व उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथन सुनने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक-हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है। अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया। 6/4 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया। 6/4/23	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.04.19 15:48:02 +05:30
Location: 192.168.1.8